Family Welfare and Community Education (Major Core)

B.A. VI semester (NEP 2020)

Unit I

परिवार कल्याण का अर्थ

परिवार को नियोजित करना या सीमित रखना। परिवार से अभिप्राय- पति, पत्नी और उनके बच्चे। परिवार कल्याण का आशय है कि विवाह के बाद पति-पत्नी आपस मे मिलकर सलाह-मशविरा करके, यह तय करे कि घर मे कितने बच्चे होगे, कब-कब होगे तथा परिवार मे कब और बच्चे नही चाहिए। बच्चो की संख्या को दो तक सीमित रखा जाये तो अच्छा है। ऐसे परिवारों को नियोजित परिवार कहा जायेगा। वर्तमान मे भारत की जनसंख्या की बहुलता और उससे उत्पन्न समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए परिवारो को एक बच्चे तक सीमित रखने की आवश्यकता है। परिवार नियोजन मूल रूप से प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार तथा देश की बेहतरी और खुशहाली की कुंजी है।

भारत मे परिवार कल्याण कार्यक्रम समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गया है। वर्तमान मे राजकीय प्रयासों और लोगो की जागरूकता के कारण परिवार कल्याण कार्यक्रम को बढ़ावा मिला और यह लोगों का जाना-पहचाना कार्यक्रम बन गया। भारत मे परिवार नियोजन का प्रतीक लाल त्रिकोण सर्वाधिक चर्चित है। साथ ही छोटे परिवार के बारे मे आम लोगों के मन मे चेतना जागृत हुई। यह अलग बात है कि आज भी लोगो की मनोवृत्ति अधिक बच्ची की है।

Family welfare service of the social agencies has the purpose of preserving healthy family life. The aim of family case worker is to assist the individuals in the family to develop their capacities to lead personally satisfying and socially useful lives in the family unit.

Family is by far the most important group in society. Family is the basic unit in which individuals receive most of their personal sati factions and in which personality of the

child is formed. It is within the family that the spouses get regular sex satisfaction and children are nurtured. Family provides food, clothing, shelter and education to its member.

परिवार कल्याण कार्यक्रम के उद्देश्य

परिवार नियोजन कार्यक्रम एक परिवार कल्याण कार्यक्रम है जिसे अपनाकर व्यक्ति परिवार को सीमित, अविवेकपूर्ण मातृत्व पर रोक तथा संतानों का समुचित पालन-पोषण कर सकता है। परिवार नियोजन अथवा परिवार कल्याण का उद्देश्य है, बच्चे का जन्म इच्छा से हो चूक से नही, सोच समझकर हो, संयोग से नही। भारत मे परिवार कल्याण कार्यक्रम के उद्देश्य निम्न प्रकार है--

1. परिवार कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य सीमित परिवार के लिये इच्छा शक्ति जागृत करना है। एक परिवार मे संतानों की संख्या दो तक सीमित हो ताकि उनका भली-भाँति पालन पोषण किया जा सके।

2. संतानोत्पत्ति के बीच अंतराल हो जिससे मां के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव न पड़े और बच्चे की देखभाल भी उचित रूप से हो सके।

3. संतानोत्पत्ति नियंत्रण के तरीको की जानकारी देना तथा संतानोत्पत्ति नियंत्रण के सस्ते साधन मुहैया कराना।

4. परिवार नियोजन के तरीको की खोज व अनुसंधान कार्यो को प्रोत्साहन देना।

5. जनसंख्या की विस्फोटक स्थिति को नियंत्रित करना।

6. जनसंख्या मे गुणात्मक सुधार करना।

7. परिवार कल्याण कार्यक्रम से परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करना।

नारी निकेतन

ये महिलाओं और लड़कियों के लिए बनाई गई। जी हां, नारी निकेतन एक ऐसी संस्था है जहां विधवा, घर से निकाली गई महिला, निराश्रित, कुंवारी माताओं, समाज से प्रताड़ित महिलाएं, जिन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है और अनैतिक व्यापार के दमन के तहत मुकदमे का सामना करने वाली अदालत द्वारा भेजी गई महिलाओं को आश्रय देना ही नारी निकेतन कहलाता है।

इस नारी निकेतन संस्था का एक और मकसद ये भी है कि देश में तेज़ी से बढ़ रहे कन्या भ्रूण हत्या (girl child abortion) को समाप्त करना।

नारी निकेतन संस्था हमेशा से ही उन सभी लोगो से यह अनुरोध करती रही है कि जो भी अपने बच्चों की पालन पोषण या देखभाल करने में असक्षम हैं, उनकी हत्या या कहीं छोड़ देने के बजाय उन्हें नारी निकेतन छोड़ कर जाए, ताकि उन्हें एक प्यारा परिवार और आशाजनक भविष्य मिल सके।नारी निकेतन में क्या सुविधाएं मिलती है

- खास तौर पर नारी निकेतन में महिलाओ के लिए रहने के लिए आवास, खाने पीने के व्यवस्था और शिक्षा सम्बन्धी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, जिसके लिए इन महिलाओ को एक रूपए भी नहीं देने होते है।
- इन नारी निकेतनों में सबसे अच्छी सुविधा ये है कि जो भी महिलाएं इसमें रहेंगी, वह अपने साथ अपने संतानों को भी नारी निकेतन संस्था में रख सकती है परन्तु बच्चे के उम्र केवल 7 वर्ष या उससे कम होना जरूरी है। इससे बड़े उम्र के बच्चो को नारी निकेतन में रखना अनिवार्य नहीं है।
- इन नारी निकेतनो में महिलाओं को खुद से अपना व्यापार शुरू करने की प्रशिक्षण कि भी सुविधा प्रदान की जाती है जिससे उनकी पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है।

नारी निकेतन के नियम

नारी निकेतन में रहने के लिए कुछ नियम भी बनाए गए है जिसे नारी निकेतन में रहने वाली हर महिला को पालन करना पड़ता है। नारी निकेतन का एक नियम यह है कि यदि किसी महिला के पास अगर अपनी संतान है तो वह महिला केवल अपने 7 साल के बच्चे ही रख सकती है।

नारी निकेतन का उद्देश्य

नारी निकेतन उद्देश्य उन अनाथ, अविवाहित, विधवा, प्रताड़ित व बेसहारा महिलाओं जिनके पास घर नहीं है और उन्हें एक छत कि आवश्यकता है उन सभी लड़कियां या महिलाएं जिनकी उम्र 16 वर्ष से अधिक है उनको सामाजिक व शैक्षणिक संरक्षण प्रदान करना। साथ ही वह युवतियां जो शादी करने की इच्छुक हैं, उनके विवाह की व्यवस्था करता है।

बाल सुधार गृह

18 साल से कम उम्र का कोई नाबालिग किसी अपराध में पकड़ा जाता है, या फिर किसी कांड में उसकी संलिप्तता पाई जाती है। तो उसे सजा के एवज सुधरने का मौका दिया जाता है। इसके लिए बाल सुधार गृह भी बनाया गया है। जहां 18 साल से कम उम्र वाले अपराध में शामिल बच्चों को रखकर सुधारा जाता है।

" बाल - अपराध का मुख्य कारण अवांछनीय सामाजिक दृष्टिकोणों का विकास है। विद्यालय, सामाजिक दृष्टिकोणों के प्रति अधिक ध्यान देकर और विद्यालय से बाहर उपयुक्त क्रियाओं का आयोजन करके इस दिशा में बहुत कुछ कर सकता है।" बालकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए ।

मनोवैज्ञानिक आधार पर मानसिक अस्थिरता, हीनता की भावना तथा बुद्धि की कमी भी बाल अपराध का कारण है। जिन परिवारों में पारिवारिक अशान्ति तथा कलह का वातावरण रहता है, उन परिवारों में बच्चा यह तय नहीं कर पाता है कि उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए। यह स्थिति बालक को अपराधी बना देती है।

“बाल अपराध के अन्तर्गत किसी ऐसे बालक अथवा तरुण के गलत कार्य आते हैं जोकि सम्बन्धित स्थान के कानून (जो इस समय लागू हो) के द्वारा निर्दिष्ट आयु सीमा के अन्तर्गत आता हो।” “बाल अपराधी वह व्यक्ति है जो जानबूझकर, इरादे के साथ मावरर समझते हुए समाज की रूढ़ियों की उपेक्षा करता है, जिससे उसका सम्बन्ध है।”

धारा-83: इस धारा के अनुसार 0 से 12 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों द्वारा यदि कोई अपराध किया जाए तो उसे अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं करेंगे यदि बालक मानसिक रूप से विकृत है।
धारा-305: किसी भी बालक द्वारा आत्महत्या व आत्मदाह का प्रयास करना अपराध माना जायेगा। सजा 7 साल।

प्रथम बालग्रह की स्थापना **सन् 1887 में न्यूयार्क में** बाल अपराधियों को सुधारने के लिए हुई ।

➡मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, उसे बाल मनोविज्ञान कहा जाता था परंतु अब मनोविज्ञान की यथा का बाल विकास कहलाती है ।